राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की इतिहास पुस्तकें

2580. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी में लिखी हुई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की इतिहास की पुस्तकों में अधिकतर मुसलमान शासकों और उनके शासन काल को गैर मुसलमान शासकों की तुलना में अपमानजनक और अनादरपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद् द्वारा इतिहास पर हिन्दी में प्रकाशित ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें धर्म के आधार पर किसी शासक या शासन काल और दूसरे शासक या शासन काल के बीच किसी भी रूप में भेदभाव किया गया हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में उर्दू की उपेक्षा

2581. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 3 से संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य बनाने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू भाषा के विकास की उपेक्षा कर रही है और उसके अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

साक्षरता कार्यक्रमों के लिए अनुदान का उपयोग

2582. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1991 में साक्षरता कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस अनुदान राशि का समुचित रूप से उपयोग किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1991-92 के दौरान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन को जारी की गई राज्यवार अनुदान राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(ख) राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों से यह आशा की जाती है कि वे अनुदान राशि का उपयोग, योजनाओं जिनके अंतर्गत अनुदान स्वीकृत किया गया है, में निर्धारित मानकों तथा अन्य वित्तीय मानदण्डों के अनुसार करेंगे । राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता को सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र में स्थित महालेखाकार कार्यालय द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा के माध्यम से सत्यापित किया जाता है । कार्यक्रम का समाज विज्ञान तथा अनुसंधान के विशिष्ट संस्थानों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ।

विवरण

साक्षरता कार्यक्रमों के लिए अनुदान–राशि का उपयोग

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	राशि (रुपए लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	78.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.43
3.	असम	151.62
4.	बिहार	124.96
5.	गोआ	—
6.	गुजरात	184.32
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00
9.	जम्मू व कश्मीर	27.00
10.	कर्नाटक	69.10
11.	केरल	10.00
12.	मध्य प्रदेश	82.22
13.	महाराष्ट्र	235.77
14.	मेघालय	9.01
15.	मणिपुर	21.14
16.	मिज़ोरम	4.15
17.	नागालैंड	16.16
18.	उड़ीसा	74.49
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	30.00
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	136.35
23.	त्रिपुरा	7.55
24.	उत्तर प्रदेश	281.12
25.	पश्चिम बंगाल	12.00
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	8.43
27.	चंडीगढ़	7.40
28.	दादर व नागर हवेली	3.29
29.	दमन तथा दीव	0.27
30.	दिल्ली	4.78
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—

Suppression by Junior Teachers in Delhi Administration

2583. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the third list of female teachers for promotion to P.G.T. Selection Grade has been auuounced by the Delhi Administration;

(b) whether it is also a fact that the names of some senior teachers who joined as TGT in 1964 and were promoted as PGT in 1965 are missing in the list because their names were inadvertantly not included in the PGT seniority list before August, 1988;

(c) whether due to this ommission these teachers have been superseded by some juior teachers vis-a-vis promotion to Selection Grade; and

(d) if so, what action is proposed to be taken by Government to rectify the omission and to redress their grievances by restoring their respective seniority in the list to mitigate their great financial hardship besides losing their due seniority for no fault of theirs?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to the Delhi Administration a list of eligible teachers whose records were available was drawn up for the orders dated 3-2-92 for granting selection scale. In respect of others whose records were not available the same are being collected and the posts have been kept vacant for them. Appropriate orders in respect of such teachers will be passed as soon as possible.